

०५.०१.१८

वकील अपी-या स्वयं कोई उपस्थित नहीं है।
अपी-को बार-बार काकाजे दिलाई गई। कमी
की ओर से कोई उपस्थित नहीं था। अतः
अपील अपीलान्त अदम हाजरी व अदम
पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर बाद तकमील जायता
बालिल इफ्तार हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

पुर

ीलांट-